बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक 2866 पटना, दिनांक 18 जुलाई 2005
5/उ0 वि विध-55/99

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण भक्त,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,
इंदिरा भवन, रामचरित्र सिंह पथ,
पटना ।

विषय- बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास द्वारा भूमि के दर में पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-150/सा0सी0 दिनांक 27.01.2004 का कृपया संदर्भ किया जाय। इस सम्बन्ध में कहना है कि भूमि के दर में पुनरीक्षण के सम्बन्ध में औद्योगिक नीति, 2003 की कंडिका- 5.1.2 में मापदण्ड निर्धारित है।

अत: आपसे आग्रह है कि उक्त मामले में औद्योगिक नीति के प्रावधानों के आलोक में कारवाई की जाय।

विश्वासभाजन,
16/7/05

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।

आधारभूत संरचना तथा रोड, जल निकासी की व्यवस्था, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं को सृजित करना है। इन प्राधिकार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में इस प्रयोजनार्थ बेहतर व्यवस्था का प्रयास किया जायेगा।

4.15 क्लस्टर डेवलपमेंट कार्यक्रम

राज्य में ग्रामीण, टाईनी एवं लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों की मौजूदा क्लस्टरों के विकास का कार्यक्रम बनाया जायेगा। इस कार्यक्रम के अधीन तकनीकी कौशल, उत्पादन प्रक्रिया एवं विपणन की व्यवस्था में बेहतरी लाने का लक्ष्य होगा।

5. भूमि:

5.1 विकास केन्द्रों/औद्योगिक क्षेत्रों/निर्यात अभिवृद्धि) औद्योगिक पार्क आदि में भूमि/शेड:

(i) उद्यमियों को विकास केन्द्रों, औद्योगिक क्षेत्रों/निर्यात अभिवृद्धि औद्योगिक पार्क आदि में उद्योग स्थापित करने के लिए 90 साल के लीज पर भूमि/शेड आवंटित किये जायेंगे। भूमि की कीमत/दर का प्रत्येक 10 वर्षों के बाद ही पुनरीक्षित करने का शर्त होगा।

(ii) निर्धारित भूमि/शेड की निर्धारित कीमत आसान किस्तों में इकाईयों से वसूली जायेगी। उद्यमी को अधिकार होगा कि लीज की अवधि में वह वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के पास भूमि/शेड वन्धक रखे जिसके लिए सरकार अथवा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) सूक्ष्म, मध्यम तथा लघु उद्योग इकाईयों के लिए भूमि पर इकाई के निर्माण हेतु अवधि निर्धारित होगा और ... अवधि में इकाई का निर्माण नहीं होने की स्थिति में भूमि वापस लेने की शर्त्त लीज डीड में रहेगी।

(iv) औद्योगिक क्षेत्रों तथा विकास केन्द्रों के प्रबंधन/प्राधिकार द्वारा भूमि आवंटन के क्लियरेंस के लिए एकल सम्पर्क होगा।

5.2 विकास केन्द्रों/औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योगों के लिए भूमि

औद्योगिक क्षेत्रों एवं विकास केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई संरचना सुविधाओं के अतिरिक्त भूमि की खरीद कर अथवा सरकारी भूमि का आवंटन प्राप्त कर भी उद्यमीअपनी इकाई हेतु स्थल चयन कर सकते हैं। औद्योगिक स्थल चयन हेतु भू-अर्जन तथा खरीद में भी राज्य सरकार सहायता देगी। कृषि भूमि का सम्परिवर्त्तन प्राधिकृत करने के लिये राज्य सरकार बिहार काश्तकारी अधिनियम को संशोधित कर चुकी है।

5.3 सरकारी भूमि का आवंटन

कृषि योग्य भूमि का सम्परिवर्त्तन कर औद्योगिक इकाईयों को उपलब्ध कराने में उद्यमियों को परेशानी हो सकती है। इस समस्या के निदान हेतु 05 एकड़ भूखण्ड को कृषि से औद्योगिक उपयोग हेतु सम्परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान होगा:-

कृषि से औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि सम्परिवर्तन करने का प्रावधान विहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1993 में अंकित है। उक्त प्रावधानों के अनुसार सम्परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी एवं इनका अनुपालन करते हुए इस संबंध में दिये जानेवाले सभी आवेदनों का यथाशीघ्र निष्पादन राजस्व पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

(i) उद्यमी, सक्षम राजस्व पदाधिकारी को सम्परिवर्तन हेतु आवेदन देंगे।

(ii) आवेदन की तिथि से 60 दिन पूरा होने के बाद अगर सक्षम पदाधिकारी द्वारा उक्त आशय का कोई सूचना-पत्र नहीं निर्गत किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि भूमि सम्परिवर्तन में कोई आपत्ति नहीं है।